रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2006/श्रावण 26, 1928
No. 372] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2006/SRAVANA 26, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 481(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उपधारा (1) और धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताओं, शक्तियों और कृत्यों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य नियम 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में मुख्य विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है और मुख्य विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(घ) "निरीक्षक" से यथास्थिति, कोई मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. नियमों का लागू होना– ये नियम निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे :

(i) केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन कोई उत्पादन कंपनी ;

(ii) कोई अंतरराज्य उत्पादन, पारेषण, व्यापार या विद्युत का प्रदाय और किन्हीं खानों, तेल क्षेत्रों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, विमान पत्तनों, डाक, प्रसारण केन्द्रों के संबंध में और कोई रक्षा कार्य, डाकयार्ड, न्यूक्लीय विद्युत प्रतिष्ठापन ;

(iii) राष्ट्रीय लोड पारेषण केन्द्र और प्रादेशिक लोड पारेषण केन्द्रों ; और

(iv) केन्द्रीय सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन कोई संकर्म या कोई विद्युत प्रतिष्ठापन ।

4. मुख्य विद्युत निरीक्षक के लिए अर्हता– कोई व्यक्ति किसी मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक-

(क) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरी में कोई डिग्री या उसके समतुल्य न हो ; और

(ख) वह कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से विद्युत इंजीनियरी के व्यवसाय में न लगा हो जिसमें से उसने दो वर्ष से अन्यून किसी विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी कर्मशाला या उत्पादन या पारेषण या विद्युत वितरण या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न बिताए हों ।

5. विद्युत निरीक्षकों के लिए अर्हताएं–(1) कोई व्यक्ति किसी विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक-

(क) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरी में कोई डिग्री या उसके समतुल्य न हो ; और

IndiaCode

(ख) वह कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से विद्युत इंजीनियरी के व्यवसाय में न लगा हो जिसमें से उसने एक वर्ष से अन्यून किसी विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी कर्मशाला या उत्पादन या पारेषण या विद्युत वितरण या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न बिताए हों ।

(2) विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण सरकार के समाधानप्रद रूप में पूरा किया जाएगा ।

6. मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की शक्तियां— मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक को, अपने क्षेत्र में संकर्म और विद्युत प्रतिष्ठापनों का, जिसके संबंध में, ऐसे किसी निरीक्षक को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निदेशित कर दिया गया है, निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी ।

7. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां—ऊपर नियम 6 में यथानिर्दिष्ट निरीक्षण करने के लिए—

(1) निरीक्षक, किसी स्थान, वाहन या यान में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें उत्पादन, पारेषण, परिवर्तन, संपरिवर्तन, वितरण या ऊर्जा में उपयोग किया जाने वाला कोई साधित्र या उपस्कर है, प्रवेश, निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा उसका परीक्षण कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक प्रदायकर्ता, उपभोक्ता, स्वामी और अधिभोगी किसी ऐसे निरीक्षक को, ऐसी परीक्षा और परीक्षण करने के लिए, जो उसका समाधान करने के लिए आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो अधिनियम की धारा 53 के अधीन प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों के सम्यक अनुपालन में आवश्यक हो । भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (अब निरसित) की धारा 37 के अधीन बनाए गए भारतीय विद्युत नियम, 1956, अधिनियम की धारा 53 के अधीन विनियम बनाए जाने तक प्रवृत्त बने रहेंगे ।

(3) कोई निरीक्षक, विद्युत के किसी प्रदायकर्ता से उसके द्वारा ऊर्जा प्रदाय किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची, वह पते जिस पर ऐसी ऊर्जा प्रदाय की जाती है, संबंध सेवाओं का मास, प्रदाय

की वोल्टता, संबंधित लोड और प्रदाय का प्रयोजन पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा प्रदायकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन केन्द्र का प्रत्येक स्वामी यदि किसी निरीक्षक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी परीक्षण करने के लिए यथास्थिति, साधित्रों, प्रदाय के लिए उपयोग किए गए उपस्करों या उसके द्वारा ऊर्जा के उपयोग के साधित्रों के युक्तियुक्त साधन उपलब्ध कराएगा ।

(5) ऐसे निरीक्षण पर, निरीक्षक प्ररूप क में ऐसे निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता, स्वामी या अधिभोगी पर किसी विनिर्दिष्ट विनियम का अनुपालन करने की मांग करते हुए आदेश की तामील कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति, जिसको आदेश की तामील की गई है, तदुपरि उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश का पालन करेगा और उसमें उल्लिखित आदेश की तामील करने वाले निरीक्षक को लिखित में यह रिपोर्ट करेगा कि आदेश का अनुपालन कब किया गया है :

परन्तु यदि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील उस व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसे आदेश की तामील की गई है, आदेश के विरुद्ध फाइल की जाती है तो अपील प्राधिकारी अपील के विनिश्चय के लिए निलंबनाधीन उसके प्रवर्तन को निलंबित कर सकेगा ।

8. अपील-(1) इन नियमों के अधीन तामील किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील-

(क) यदि आदेश की किसी विद्युत निरीक्षक द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक को तामील की जाती है ;

(ख) यदि आदेश की किसी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को तामील की जाती है ;

तो अपील की जाएगी ।

(2) मुख्य विद्युत निरीक्षक के किसी आदेश की दशा में, उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन उसे की गई किसी अपील पर, केन्द्रीय सरकार को आगे अपील की जाएगी ।

IndiaCode

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील लिखित में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति लगी होगी जिसके विरुद्ध अपील की जाती है और ऐसे आदेश की तारीख से, जिसको यथास्थिति, ऐसे आदेश की तामील या परिदान कर दिया गया है, तीन मास के भीतर की जाएगी ।

(4) किसी अपील का निपटान अपील की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा ।

6

प्ररूप क

आदेश का प्ररूप

प्रेषित

1. प्रतिष्ठापन का तारीख..... को निरीक्षण किया गया और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 162 की धारा 1 के अधीन बनाए गए नियमों और धारा 53 के अधीन बनाए विनियमों का निम्नलिखित के संबंध में अर्थात्(जहां आवश्यक हो विशिष्टियां दी जाएंगी) और इसके द्वारा आपसे उक्त नियमों/विनियमों के तारीख को या उससे पूर्व अनुपालन करने और मुझे लिखित में अनुपालन की रिपोर्ट करने की मांग की जाती है ।

कोई अपील उपर्युक्त नियमों के नियम 8 के अधीन इस आदेश के विरुद्ध उस तारीख से जिसको इस आदेश की तामील या परिदान किया जाता है, तीन मास के भीतर फाइल की जा सकेगी किंतु इस आदेश का अनुपालन, ऐसी अपील के होते हुए भी जब तक अपील प्राधिकारी ऊपर पैरा में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व इसके प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर देता है, होना चाहिए ।

तारीख

हस्ताक्षर

मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक

[फा. सं. 23/3/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

2512 GI/06-2

IndiaCode

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2006

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 and clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003, (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules for Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors.

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Qualifications, Powers and Functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Appellate Authority" in respect of an appeal against the order of an Electrical Inspector, means the Chief Electrical Inspector, and in respect of an appeal against the order of the Chief Electrical Inspector, means the Central Government.

(c) "Section" means section of the Act.

(d) "Inspector" means a Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector as the case may be.

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Applicability of Rules – These rules shall apply in respect of following:

(i) a generating company wholly or partly owned by the Central Government;

(ii) any inter-State generation, transmission, trading or supply of electricity and with respect to any mines, oil-fields, railways,

IndiaCode

national highways, airports, telegraphs, broadcasting stations and any works of defence, dockyard, nuclear power installations;

(iii) National Load Despatch Centre and Regional Load Despatch Centre; and

(iv) any works or electric installation belonging to the Central Government or under its control.

4. Qualification for Chief Electrical Inspector.- No person shall be appointed to be a Chief Electrical Inspector unless-

(a) he possesses a degree in electrical engineering or its equivalent from a recognized University or Institution; and

(b) he has been regularly engaged for a period of at least twenty years in the practice of electrical engineering of which not less than two years have been spent in an electrical or mechanical engineering workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and rules thereunder, in a position of responsibility.

5. Qualifications for Electrical Inspectors.- (1) No person shall be appointed to be an Electrical Inspector unless -

(a) he possesses a degree in Electrical Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution; and

(b) he has been regularly engaged for a period of at least ten years in the practice of electrical engineering, of which not less than one year has been spent in an electrical or mechanical engineering workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and rules thereunder, in a position of responsibility.

(2) The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

6. **Powers of the Chief Electrical Inspector and Electrical Inspector -** The Chief Electrical Inspector and the Electrical Inspector shall have powers to inspect the works and electrical installations in his area in respect of which, such an Inspector has been directed by the Central Government to exercise his powers and perform functions under sub-section (1) of the Section 162 of the Act.

7. **Powers of Entry and inspection.** - For carrying out inspections as referred to in rule 6 above, -

(1) The Inspector may enter, inspect and examine any place, carriage or vessel in which he has reason to believe that there is any appliance or apparatus used in the generation, transmission, transformation, conversion, distribution or use of energy and may carry out tests therein.

(2) Every supplier, consumer, owner and occupier shall afford all reasonable facilities to any such Inspector to make such examinations and tests as may be necessary to satisfy himself as to the due observance of the safety regulations as specified by the Authority under section 53 of the Act. The Indian Electricity Rules, 1956 made under section 37 of the Indian Electricity Act, 1910 (now repealed) shall continue to be in force till the regulations under section 53 of the Act are made.

(3) An Inspector may require a supplier of the electricity to submit to him a list of all persons supplied with energy by him, the addresses at which such energy is supplied, the month of connecting services, the voltage of supply, the connected load and the purpose of supply and the supplier shall comply with such requisitions.

(4) Every licensee and every owner of a generating station shall, if required so to do by an Inspector, provide reasonable means for carrying out all tests, specified under the Act or regulations thereunder, of the appliances or apparatus used for the supply or use of energy by him, as the case may be.

(5) Upon such inspection, an Inspector may serve an order, within 15 days from the date of such inspection, in the **Form A**, to any licensee, consumer, owner or occupier, calling upon him to comply with any specified regulation and the person so served shall thereupon comply with the order within the period specified therein, and shall report in writing to the Inspector serving the order mentioning therein as to when the order has been complied with:

Provided that, if within the period specified in the aforesaid order an appeal is filed against the order by the person on whom such order has been served, the appellate authority may suspend its operation pending the decision of the appeal.

8. Appeals. - (1) An appeal against an order served under these rules shall lie -

(a) if the order is served by an Electrical Inspector, to the Chief Electrical Inspector;

(b) if the order is served by a Chief Electrical Inspector, to the Central Government.

(2) In the case of an order of Chief Electrical Inspector on an appeal preferred to him under clause (a) of sub-rule (1), a further appeal shall lie to the Central Government.

(3) Every appeal made under sub-rule (1) shall be in writing and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and shall be presented within three months of the date on which such order has been served or delivered, as the case may be.

(4) An appeal shall be disposed off within ninety days from the date of receipt of the appeal.

FORM A

FORM OF ORDER

To

1. Whereas the installation was inspected onand whereas it appears to me that you have not complied with the rules made under sub-section (1) of section 162 and the regulations made under section 53 of the Act, in the following respect (particulars to be given where necessary) namelyyou are hereby called upon to comply with the said rule(s)/regulations(s) on or before day ofand to report compliance in writing to me.

2. An appeal may be filed against this order under rule 8 of the aforesaid Rules, within three months of the date on which this order is served or

delivered but this order must be complied with, notwithstanding such appeal, unless the appellate authority on or before the date specified in paragraph above, suspends its operation.

Dated at

Theday of.....

Signature
Chief Electrical Inspector or
Electrical Inspector

[F. No. 23/3/2004-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.